भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 715

उत्तर देने की तारीख : 04.12.2025

आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूह से जुड़े उद्यमों के लिए समर्थन

715. **श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डीः**
श्री पुट्टा महेश कुमारः

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पूरे आंध्र प्रदेश में पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) से जुड़े सूक्ष्म उद्यमों की जिला-वार, विशेषकर नेल्लोर और एलुरु जिलों में कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं के लिए बाजार संबंधों पर कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार, विशेषकर नेल्लोर और एलुरु जिलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) आंध्र प्रदेश में, विशेषकर नेल्लोर और एलुरु जिलों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (एसएफयूआरटीआई) जैसी योजनाओं के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह के नेतृत्व वाले उद्यमों को सहायता प्रदान करने हेतु आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्षवार और जिलावार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण प्राप्त होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश में एसएचजी के लिए डिजिटल और वित्तीय साक्षरता प्रशिक्षण हेतु आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधि का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : उद्यम पंजीकरण पोर्टल दिनांक 01.07.2020 को शुरू किया गया था। दिनांक 30.11.2025 तक आंध्र प्रदेश में उद्यम एमएसएमई पंजीकरण के तहत पंजीकृत स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) द्वारा संचालित सूक्ष्म उद्यमों की जिलावार कुल संख्या, विशेष रूप से नेल्लोर और एलुरु जिलों में, अनुबंध- I में दी गई है।

(ख) : जैसाकि ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जानकारी दी गई है, ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसायटी (एसईआरपी) ने दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गहन क्षेत्रगत अध्ययन किया है और ई-कॉमर्स, सरस प्रदर्शनियों और अन्य विपणन चैनलों के माध्यम से बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के साथ-साथ क्षमतावान विक्रेताओं की पहचान की है। ओएनडीसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत विक्रेताओं, पंजीकृत उत्पादों और शामिल(ऑनबोर्ड) किए गए विक्रेताओं का विवरण अनुबंध- II में दिया गया है।

(ग) : एमएसएमई मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को क्रियान्वित कर रहा है। यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जो मुख्य रूप से गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना में संभावित उद्यमियों की सहायता करके ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करती है। पीएमईजीपी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत की 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी का प्रावधान है जिसके साथ विशेष श्रेणी के लिए विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए तक की अधिकतम लागत के लिए वर्धित प्रावधान शामिल है।

पारंपरिक उद्योगों के पुनरुद्धार हेतु निधि योजना (स्फूर्ति) कारीगर की आय में स्थायी वृद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पारंपरिक कारीगरों को बड़े पैमाने पर मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्माण के लिए सामूहिक रूप से संगठित करने की एक योजना है। इस योजना में विशेष रूप से एसएचजी के नेतृत्व वाले उद्यमों के लिए कोई अलग प्रावधान शामिल नहीं है।

(घ) और (ङ) : एमएसएमई मंत्रालय अपने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एमएसएमई/उद्योग विभागों, बैंकों और अन्य एमएसएमई हितधारकों के समन्वय से सरकारी योजनाओं/कार्यक्रमों/वित्तीय जागरुकता आदि के लाभों पर महिलाओं सहित सभी हितधारकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए व्यापक प्रचार करने हेतु भौतिक कार्यशालाओं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से कई जागरुकता अभियान आयोजित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए जागरुकता प्रचार संबंधी उपायों में वित्तीय साक्षरता केंद्रों और बैंकों की ग्रामीण शाखाओं और वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना द्वारा शिविर आयोजित करना सम्मिलित है।

******

अनुबंध-I

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 715, जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

स्वयं सेवा समूह के लिए दिनांक 01/07/2020 से 30/11/2025 तक उद्यम के तहत जिलावार पंजीकृत कुल सूक्ष्म उद्यम		
क्र.सं.	**जिला**	**सूक्ष्म**
1	अल्लूरी सीतारामा राजू	216
2	अनकापल्ली	998
3	अनंतपुर	6,417
4	अन्नमय्या	6,261
5	बापतला	2,659
6	चित्तूर	9,106
7	पूर्वी गोदावरी	4,033
8	**एलुरु**	**3,867**
9	गुंटूर	9,407
10	काकीनाडा	6,770
11	कोनासीमा	1,222
12	कृष्णा	6,706
13	कुरनूल	6,880
14	नांडयाल	1,988
15	एनटीआर	10,204
16	पलनाडु	3,985
17	पार्वतीपुरम मन्यम	440
18	प्रकाशम	4,175
19	**एसपीएसआर नेल्लोर**	**5,198**
20	श्री सत्य साई	1,821
21	श्रीकाकुलम	3,447
22	तिरुपति	6,643
23	विशाखापत्तनम	10,120
24	विजयनगरम	2,389
25	पश्चिम गोदावरी	7,331
26	वाई.एस.आर	7,888
	कुल:-	**130,171**

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 715, जिसका उत्तर दिनांक 04.12.2025 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

क्र.सं.	जिले का नाम	पंजीकृत विक्रेताओं की कुल सं.	पंजीकृत उत्पादों की सं.	शामिल विक्रेताओं की सं.
1	अल्लुरी सीतारामा राजू	41	139	15
2	अनकापल्ली	761	1383	374
3	अनंतपुर	476	1514	476
4	अन्नमय्या	81	707	45
5	बापतला	526	683	526
6	चित्तूर	484	1981	477
7	पूर्वी गोदावरी	380	1178	156
8	**एलुरु**	**549**	**2518**	**291**
9	गुंटूर	252	1250	86
10	काकीनाडा	524	1390	151
11	कोनासीमा	1195	1314	419
12	कृष्णा	1031	1099	747
13	कुरनूल	171	831	53
14	नांडयाल	413	601	125
15	एनटीआर	764	1382	327
16	पलनाडु	165	759	56
17	पार्वतीपुरम मन्यम	213	418	112
18	प्रकाशम	710	1211	306
19	**एसपीएसआर नेल्लोर**	**541**	**1427**	**260**
20	श्री सत्य साईं	332	1935	332
21	श्रीकाकुलम	451	1347	359
22	तिरुपति	543	1879	356
23	विशाखापत्तनम	140	215	73
24	विजयनगरम	917	1506	268
25	पश्चिम गोदावरी	291	1812	291
26	वाई एस आर कडप्पा	913	987	433
सकल योग		**12864**	**31466**	**7114**